

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

लादु लाल पुत्र देवकिशन धाकड निवासी फलासिया वगैरह
बनाम

रणजित पुत्र मगना मीणा निवासी फलासिया वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 336/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम फलासिया प.ह. फलासिया आराजी सं. 400, 393 कुल किता 02 रकबा 0.4128 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम फलासिया प.ह. फलासिया आराजी सं. 400, 393 कुल किता 02 रकबा 0.4128 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 13/05/2024


कमांक/रीडर/2024/336/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 236/2024 अनवान लादु लाल पुत्र देवकिशन धाकड निवासी फलासिया, सोहन पुत्र देवकिशन धाकड निवासी फलासिया बनाम रणजित पुत्र मगना मीणा निवासी फलासिया, उरजन पिता मगना मीणा निवासी फलासिया, लक्षमण पुत्र छगना धाकड निवासी फलासिया, परमेश्वर पुत्र महावीर धाकड निवासी फलासिया, अम्बा लाल पिता देबी लाल मीणा निवासी फलासिया, रामलाल पिता धन्ना मीणा निवासी फलासिया वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम फलासिया प.ह. फलासिया आराजी सं. 400, 393 कुल किता 02 रकबा 0.4128 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा